मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

::–सूचना–::

मेरठ विकास प्राधिकरण में सिविल/विद्युत/उद्यान कार्यो के लिये पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये पंजीकरण/नवीनीकरण एवं उच्चीकरण कराने के लिये वांछित प्रपत्र यथा जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र व हैसियत प्रमाण–पत्र तथा अन्य प्रपत्र दिनांक 02–03–2016 से दिनांक 31–03–2016 तक प्राधिकरण कार्यालय में जमा करा दें। उक्त दिनांक के उपरान्त प्राप्त कराये गये प्रार्थना–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ओर न ही कोई निविदा निर्गत की जायेगी व पंजीकरण स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। पंजीकरण फार्म उक्त कार्यदिवसों में रू0 50/– का शुल्क जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते हैं। पंजीकरण/नवीनीकरण एवं उच्चीकरण सम्बन्धी अन्य अध्यावधिक जानकारी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

नोटः– पंजीकरण/नवीनीकरण एवं उच्चीकरण हेतु फर्म/आवेदनकर्ताओं को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी हैसियत/चरित्र प्रमाण–पत्र फर्म के प्रोपराईटर/पार्टनर/डायरेक्टर द्वारा स्वयं बनवाये गये हैं, यदि उक्त प्रमाण–पत्रों व अन्य प्रपत्रों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिये फर्म के प्रोपराईटर/पार्टनर/डायरेक्टर आवेदनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगें।

29.02.2016

मुख्य अभियन्ता,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि,

1–श्री शरद श्रीवास्तव, सहायक प्रोग्रामर, को उपरोक्त सूचना प्राधिकरण की वैबसाईड पर अपलोड करने हेतु।